कार्यालय [redacted] अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज / प्रतापगढ़

पत्र संख्या–एफ0पी0 / सीएफओ / आई–3 / 2018

दिनांक– 5|11|

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रिंसपल

प्रभात एकेडमी
लहंगपुर, बिहारगंज प्रतापगढ़

विषय–अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ–आवेदक का प्रार्थना पत्र संख्या–शून्य दिनांक–02.11.2018।

महोदय,

कृपया आवेदक के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रश्नगत भवन में स्थापित जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की स्थापना एवं कियाशीलता का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी प्रतापगढ़ श्री महेन्द्र प्रसाद द्वारा कराया गया, उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति सहित आख्या एवं अभिलेखों का मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परिशीलन किया गया। जिसका विवरण, निम्नवत है–

भवन की संरचनाः

1. कुल भूखण्ड एरिया–4500.00 वर्ग मी0।
2. निर्मित कवर्ड एरिया भूतल–1378.33 वर्ग मी0।
3. निर्मित कवर्ड एरिया प्रथम तल–1330.33 वर्ग मी0।
4. निर्मित कवर्ड एरिया द्वितीय तल–1313.94 वर्ग मी0।
5. भवन की ऊचाई–10 मी0।
6. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 में शैक्षणिक श्रेणी बी–1 के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाएंः

1. पहुँच मार्ग–भवन सम्पर्क मार्ग पर स्थित है, फायर सर्विस के वाहन आसानी से पहुंच सकते है।
2. भवन में प्रवेश एवं निकास द्वार उपलब्ध है।
3. सेट बैक–उपलब्ध है, जिसे सदैव अवरोधमुक्त रखा जायेगा।

अग्निशमन व्यवस्थाएं

भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया, 2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं की गयी है।

1. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) आई0एस0 2190 के अनुसार भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्हयुक्त मानक के अनुरूप उपलब्ध पाए गए।
2. टेरिस टैंक–भवन की टेरिस पर 10000 ली0 क्षमता का वाटर टैंक अपेक्षित है।
3. होजरील / डाउन कामर— प्रत्येक तल पर 30–30 मी0 की होजरील अपेक्षित।
4. टेरेस पम्प– भवन की टेरेस पर 450 एलपीएम का टेरेस पम्प अपेक्षित।
5. एक्जिट साइनेज– सम्पूर्ण भवन में व्यवस्थापित किया गया है।
6. पी0ए0 सिस्टम–सम्पूर्ण भवन में व्यवस्थापित है।

7. विद्युत आपूर्ति [redacted] स्रोत जनरेटर सुविधा उपलब्ध है
8. मुख्य-मुख्य स्थानों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड एवं फायर स्टेशन का टेली० नं०-101,9454418576 अंकित है।
9. फायर ड्रिल/निष्क्रमण योजना ड्रिल सावधि कराये जाने का निर्देश दिया गया है।
10. अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण/स्टाफ प्रशिक्षण/सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 में प्राविधानित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर भवन का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

1. भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि अपेक्षित अग्निशमन व्यवस्थाए यथाशीघ्र पूर्ण कराये तथा भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने हेतु मेंटिनेन्स शेड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाएं।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।
3. किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अगिनशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
4. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केंद्र को दी जाए तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटी का निवारण किया जाए।
5. प्रत्येक 06 माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को माक ड्रिल करायी जाये तथा इमरजेन्सी इवेक्युशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाए।
6. वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(रवीन्द्र शंकर मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रतापगढ़/प्रयागराज

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रतापगढ़